राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	564/2018 भंवरलाल बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया गया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा स्थित ग्राम डाबलाबुजुर्ग तहसील फागी, जिला जयपुर के सम्बन्ध में वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा में ए, बी, सी एवं डी मार्क से दर्शित भूमि पर कब्जा होने का कथन करते हुए कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मोहब्बतपुर में नियत कर प्रतिवादीगण की पूर्व में तामील हो जाने का कथन करते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 19/06/2017 पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-09 नियम 13 जाप्ता दीवानी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13/06/2018 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-09 नियम 13 जाप्ता दीवानी निरस्त फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपिलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की समुचित तामील होने के उपरान्त वाद में अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/06/2018 न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भंवरलाल बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/06/2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	